न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–567/2015

1. बोदूराम पुत्र श्योकरण

2. श्रीमती गलखू देवी पत्नी बोदूराम

समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी राजपुरा कोदर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. श्रीमती जानकी देवी पुत्री सांवत सिंह पत्नी शंकर सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम मेड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

2. श्रीमती बंशी देवी पुत्री सांवत सिंह पत्नी अर्जन सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी मकान नम्बर 32, श्रीराम नगर–ए– कालवाड रोड जयपुर।

3. श्रीमती सोनी देवी पुत्री सांवत सिंह पत्नी शंकर, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

4. रामप्यारी पुत्री सांवत सिंह पत्नी हनुमाना सिह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

5. हनुमान सिंह पुत्र सांवत सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी बगरू रावान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–मुख्य रेस्पोडेंटस–

6. श्रीमती ललिता देवी पत्नी गिरधारी सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम ढाणी कुआं बोडली बानसूर, तहसील बानसूर, जिला अलवर।

7. श्रीमती सीता देवी पत्नी मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी कुआ तन बानसूर, तहसील बानूसर, जिला जयपुर।

8. श्रीमती गीता देवी पत्नी चिरंजीलाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरिया, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

9. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्रीचन्द, जाति राव राजपूत, निवासी गग्रम खवाराम, तहसील व जिला दौसा हाल निवास मार्फत गोपालसिंह मकान नम्बर 267/376 सेक्टर नम्बर 26 प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर।

10. कु0 प्रियंका पुत्री चिरंजीलाल, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम देवपुरी, तसहील चौंमू, जिला जयपुर।

11. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

12. मातादीन सिंह पुत्र ईसरसिंह

13. बाबूसिंह पुत्र ईसरसिंह

14. गोकुलसिंह पुत्र ईसरसिंह

15. परमानन्दसिंह पुत्र ईसरसिंह

16. मूलसिह पुत्र ईसरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

17. श्रीमती सूरज देवी पत्नी ईसर सिह

18. रामेश्वर सिंह पुत्र भंवरलाल सिंह

19. कानसिंह पुत्र दुर्गालाल सिंह

20. शंकर सिह पुत्र दुर्गालाल सिंह (दौराने अपील फौत)

20/1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह

20/2. मुकेश पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह

20/3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह

20/4. अशोक पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह

21. रामचन्द सिंह पुत्र दुर्गालाल सिंह

22. रामसिंह पुत्र मोहरीलाल सिंह

23. गोपाल सिंह पुत्र मोहरीलाल सिंह

24. गिरवर सिह पुत्र ग्यारसी लाल सिंह

25. कानसिंह पुत्र ग्यारसीलाल सिंह

26. प्रभुसिंह पुत्र छोटूलाल सिंह

27. मोहनसिंह पुत्र छोटूलाल सिंह

28. श्रीमती संतीदेवी पत्नी सवाई सिंह(दौराने अपील फौत)

28/1. राजेन्द्र सिंह (पुत्र)

28/2. महेन्द्र सिंह (पुत्र) (फौत)

28/2/1. मंजूलता पत्नि महेन्द्र सिंह

28/2/2. शेलेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

28/2/3. चेनेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

28/3. नरेन्द्र सिंह (पुत्र)

28/4. विरेन्द्र सिंह (पुत्र)

समस्त जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेंट्स—

उपस्थित अधिवक्तागणः—

1— श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अपीलार्थीगण की ओर से।

2— श्री जयसिंह राजावत रेस्पोडेंट सख्या 01 व 02 की ओर से।

3— श्री महेन्द्र सिंह रेस्पोडेंस सख्या 03 व 04 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

4– श्री बी0 एल0 शर्मा रेस्पो0 सख्या 05 लगा.10 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 29–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–10–2015 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वितीय मि.स. 122/2008 बउनवानी श्रीमती जानकी देवी बनाम हनुमान सिंह वगैराह प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी प्रस्तुत किया, और वर्णन किया कि आराजी खाता संख्या 70 खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टै0 में प्रतिवादी संख्या 12 ता 17 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/3, खाता संख्या 71 कुल किता 16 कुल रकबा 2.04 हैक्टै0 जिसमें प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 व 18 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 21 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 है। खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 369, 370 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1940 हैक्टै0 जिसमें वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादीगण 12 ता 17 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 18 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 19 व 21 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 13/18 अंकित है।खाता सख्या 74 कुल किता 6 कुल रकबा 0.4416 है0 में वर्तमान जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सख्या 12 लगायत 21 का हिस्सा 1/3, व प्रतिवादी सख्या 8 हिस्सा 2/3 अंकित है खाता सख्या 100 कुल किता दो कुल रकबा 0.19 है0 में प्रतिवादी सख्या 22व 23 का हिस्सा 1/8 मृतक केसरी देवी पत्नि स्व0 माधो लाल का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सख्या 24 का हिस्सा 1/16 प्रतिवादी सख्या25 लागयत 27 का हिस्सा 3/16 प्रतिवादी सख्या12 ता 16 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी सख्या 18 का हिस्सा 1/12प्रतिवादी सख्या 19 ता 21 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/12 स्थित है खाता सख्या 145 खसरा नम्बर 381 रकबा 0.02 हैक्टेयर में प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सख्या 12 ता 21 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सख्या 8 का हिस्सा 1/3 स्थित है। खाता सख्या 146 के कुल किता चार कुल रकबा 0.234 हैक्टेयर में प्रतिवादी सख्या 12 ता 21 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 2/3 है खाता सख्या 130 खसरा नम्बर 655 रकबा 0.12 है0 में प्रतिवादी सख्या 28 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सख्या 12 ता 21 व प्रतिवादी सख्या 1 का शामलाती हिस्सा 1/2 है।उक्त समस्त आराजीयात वादग्रस्त है। उक्त

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

आराजीयात पूर्व में खातेदार सांवत सिंह पुत्र श्री मनसुख सिंह के नाम से दर्ज थी। जिसने सह–खातेदारों से मनबंट बंटवारा कर लिया था ओर उसी अनुसार काबिज काश्त था। सांवत सिंह का देहान्त सन 1963 में निर्वसीयती हो गया तथा उनकी पत्नि रूकमणी देवी का देहान्त दिसम्बर 2006 में हो गया वादीगण, अप्रार्थीगण सख्या 1,9 व 10 वादग्रस्त आराजीयात के 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रतिवादी सख्या1 ने नामान्तकरण सख्या 63 दिनांक 11/06/1967 अकेले अपने नाम खुलवा लिया ओर तत्पश्चात प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 6 को उपहार–पत्र का पंजीयन करवा दिया तथा प्रतिवादी सख्या 7 व 8/अपीलान्ट को कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त उपहार–पत्र एवं विक्रय को प्रभाव शून्य कथन करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया।प्रतिवादीगण अपीलान्टस द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब दिया गया तथा कथन किया गया कि वादिनी ने वाद व प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हनुमान सिंह द्वारा कई अन्य व्यक्तियों को भी भूमि का बैचान किया जा चुका है जिन्हें पक्षकारान नहीं बनाया गया है। सांवत सिंह की मृत्यु सन 1954 में होने के कारण पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हनुमान सिंह उसका एक मात्र पुत्र होने के कारण वारिस बना है प्रार्थीगण को सांवत सिंह की विरासत में कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थीगण द्वारा सन 1967 से सन 2007 तक हनुमान सिंह के नाम हुऐ इन्द्राजात को चुनौती नहीं दी गई है लेकिन अब बदनियति से गलत तथ्यों के आधार पर वाद दायर किया गया है वादिनी व तरतीबी अप्रार्थीनी सख्या 2 व 3 का कभी कोई कब्जा उक्त आराजीयात में नहीं रहा है ओर जो बैचान वाद दायर करने से पूर्व हो चुके है उनको चुनौती देने का अधिकार प्रार्थीनी वादीगण को नही है।राजस्व न्यायालय को विक्रय–पत्र को निरस्त करने का अधिकार नही है। अप्रार्थीयान द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में उपर्युक्त कथन करते हुए प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।अधिनस्थन्यायलय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–10–2015 द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थई निषेधाज्ञा ताफैसला वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को न देखकर और साबिक खातेदार जो पूर्व में बैचान के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे उनको पक्षकारान न

बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का जो आदेश दिया गया है वह अवैधानिक है। न्यायालय द्वारा वादीगण के प्राथमिक आधार को भी सही रूप से निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार निषेधाज्ञा का वाद सह–कृषकों को पक्षकार बनाये बिना नहीं चल सकता है। स्वयं वादिनीगण इस तथ्य से वाकिफ है कि आराजीयात पर अपीलार्थीगण काबिज है। काबिज खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निहित सिद्धांतो को सही रूप से नही समझकर निर्णय देने में सरासर गलती की है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/10/2015 को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में सांवत सिंह नाम दर्ज थी तथा सांवत सिंह का देहान्त सन 1954 में हो जाने से पुराने उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके पुत्र हनुमान सिंह को जरिये विरासत खातेदारी प्राप्त हुई। हनुमान सिंह द्वारा कुछ भूमि अपीलान्ट्स को एवं कुछ भी अन्य व्यक्तियों को बैचान दी गई थी। प्रकरण में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकारान नहीं बनाया गया है प्रतिवादिनी केसर देवी के वारिसान को भी पक्षकारान नहीं बनाया गया है।प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो घटकों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा अपीलान्टस रिकॉर्डेड खातेदार तथा काबिज काश्तकार होने से तीनों बिन्दु अपीलान्ट्स के पक्ष में है न कि वादिनी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में। वादिनी द्वारा दावा स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया जाकर तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उक्त कथन करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जाने व अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में अपीलान्टस द्वारा किये गये कथन का जवाब देते हुए कथन किया गया कि सांवत सिंह की मृत्यु सन 1954 में होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जब कि सांवत सिंह की मृत्यु सन 1963 में हुईहै। विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 11/06/1967 को तस्दीक हुआ है। सांवत सिंह द्वारा कोई वसीयत नहीं की गई थी इसलिये समस्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था। केसरी देवी ना–औलाद फौत हो गई थी इसलिये उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।प्रकरण के समस्त विवाद बिन्दुओं का निस्तारण नियमित

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दावे में हो सकेगा लेकिन वाद बहुलता को रोके जाने के उद्वेश्य से अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे। सांवत सिंह की पत्नि रूकमणी देवी की मृत्यु सन 2006 में हुई है तथा उसके पश्चात यह दावा दायर कर दिया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश यथाावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सख्या 1 व 2 द्वारा वाद बाबत घोषणा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में उनके पिता सांवत सिंह की खातेदारी में स्थित थी तथा उसके पश्चात सन् 1967 में जरिये विरासत सांवत सिंह के पुत्र हनुमान सिंह के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि वे भी हनुमान सिंह की पुत्रियॉ होने के कारण जरिये विरासत हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है।उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि हनुमान सिंह द्वारा जरिये विक्रय–पत्र एवं उपहार–पत्र जो हस्तान्तरण किये गये है वे प्रभाव शून्य है। उक्त वाद–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीयान/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष वादिनीगण द्वारा चाहा गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है कि ''उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का मय प्रस्तुत रिकार्ड अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजीयात को दोहराने वाद संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है। अतः न्याय हित में एवं वाद बहुलता को रोकने हेतु पूर्व में जारी अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को दौहराने वाद ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में अप्रार्थीयान प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में किये गये कथन कि पुराने हिन्दू उत्तराधिकार के तहत अप्रार्थीगण सख्या 1 हनुमान सिंह ही सांवत सिंह का एकमात्र पुरूष होने के कारण वारिस बना है तथा प्रार्थीगण को सांवत सिंह की विरासत में कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है, का उल्लेख मात्र कर तथा यह उल्लेख कर कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 1, 9 व 10 सगे भाई बहिन है, वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखे जाना आवश्यक मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवश्यक तीनों घटको पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रार्थीनीगण द्वारा सन 1967 में श्री हनुमान सिंह के पक्ष में तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी जाकर सन 2007 में

यह दावा प्रस्तुत किया गया है।इस अवधि के दौरान श्री हनुमान सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र एवं उपहार–पत्र हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा क्रेतागण एवं उपहार प्राप्त कर्त्तागण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा विक्रय–पत्रों एवं उपहार–पत्र की रूह से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर चुके है। इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया केस अपीलान्टस अप्रार्थीयान के पक्ष में है न कि प्रार्थीयान के विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जा सकता है। रिकार्डेड खातेदार को अपने विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग से महरूम किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति उन्हें कारित होने की संभावना है। लम्बी अवधि से खातेदार काश्तकार दर्ज होने से सुविधा का संतुलन भी अपीलान्टस अप्रार्थीगण के पक्ष में है। रेस्पोडेन्टस वादिनीगण के अधिकारो का निर्धारण नियमित वाद में होना शेष है तथा वाद के दौरान किये जाने वाले अन्य हस्तान्तरण वाद के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होने से इस स्टेज पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा पाबंद किया जाना उचित नही है।इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–10–2015 बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– अतःअपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–10–2015 अपास्त किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 29–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जिला जयपुर